श्री अटल बिहारी वाजपेयी : स्टेटमेंट हिन्दी में है, लेकिन रिपोर्ट हिन्दी में नहीं है। यह बहाना नहीं चलेगा कि यह एक मोटी किताब है, इस लिए इस का हिन्दी रूपान्तर तैयार करना कठिन है।

श्री धर्मवीर सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रभाषा के प्रति मेरे मंत्रालय में अनादर की भावना नहीं है। अगले वर्ष से यह रिपोर्ट हिन्दी में भी रखी जायेगी।

13.04 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Navy (Amendment) Bill, 1973, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd November, 1973."

NAVY (AMENDMENT) BILL

AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table of the House the Navy (Amendment) Bill, 1973, as passed by Rajya Sabha.

13.05 hrs

BURN COMPANY AND INDIAN STANDARD WAGON COMPANY (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL*

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI T. A. PAI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the taking over, in the public interest, of the management of the undertakings of certain companies, pending nationalisation of such undertakings, with a view to ensuring rational and co-ordinated development and production of rolling stock, other products of iron and steel industry and other goods needed by such industry, and for matters connected therewith or incidental thereto.

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, इस में तीन मुद्दे उठते हैं।

पहला तो यह कि आज मंत्री इस विधेयक के साथ जो वक्तव्य परिचालित किया गया है, उस में मंत्री महोदय ने कारण बताया है कि वह दो दिन का नोटिस क्यों नहीं दे पाये। अगर आप इस को एक औपचारिक बात समझते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर आप इस विधेयक के स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रीजन्ज को देखेंगे, तो आप को पता चलेगा कि यह मामला बहुत पुराना है। अर्से से मजदूर संगठन इस के बारे में शिकायत कर रहे थे। इन कम्पनियों में घोटाला, अव्यवस्था और बद-इन्तजामी थी। तो फिर मंत्री महोदय को ऐसा कौन सा विलम्ब का कारण हुआ कि वह दो दिन का नोटिस नहीं दे सकते थे? अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर आप को निर्णय करना है। आप इस बारे में एक आदेश जारी कीजिए।

दूसरे, मेमोरेंडम रिगार्डिंग डेलीगेटिड लेजिसलेशन में कहा गया है कि यह एक साधारण नियम बनाने का प्रावधान है, डेलीगेटिड लेजिसलेशन है। लेकिन यदि आप इस विधेयक की धारा 4 की ओर ध्यान देंगे, तो आप को पता चलेगा कि इन कम्पनियों के सरकार के हाथ में चले जाने के बाद उन के ढांचे के बारे में क्या योजना होगी, उस की क्या रूपरेखा होगी, इस का

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 28-11-73.